

मूल वाद में डिक्री

प्रपत्र 5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री जितेन्द्र ओझा, R.A.S

उनवान

1. श्री धुलकुंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत निवासी बाजी का कुंआ, जावड तह. मावली ।
2. श्री नाहरसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी बाजी का कुंआ, जावड तह. मावली ।
3. श्री हरिसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी बाजी का कुंआ, जावड तह. मावली ।
4. श्री रतनसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी बाजी का कुंआ, जावड तह. मावली ।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री लालसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी बाजी का कुंआ, जावड तह. मावली ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली ।
3. पटवारी, पटवार हल्का जावड तह. मावली ।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- 88 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 202/17 वाद

निर्णय दिनांक : 10.02.2018

वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.02.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ. का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड की आ.न. 5017, 5018 किता 2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आ. न. 4866 रकबा 30 बीघा 4 बिस्वा, आ.न. 4870, 4871, 5016, 5019 से 5023, 5025 से 5032, किता 16 रकबा 50 बीघा 19 बिस्वा आ.न. 4767, 5011, 5035, 5050, 5052, 5055 से 5060 किता 11 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, आ.प. 4717, 4745, 4768 किता 3 रकबा 45 बीघा 11 बिस्वा, आ. न. 5008, 5048, 5051 किता 3 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आ. न. 4958, 4959, 4960, 4962 से 4969, 4971 से 4973, 4975 से 4979 किता 19 रकबा 17 बीघा एवं आ.न. 4940 से 4945, 4947 से 4957 किता 17 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि में खातेदार किशनसिंह के बजाय वादीगण सं. 1 से 4 व प्रतिवादी सं. 1 को बराबर-बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

यह आज तारीख 10.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जितेन्द्र ओझा)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर मावली